न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख अंतिम निर्णय
1/108/2022	05.07.2022	12.07.2022

बउनवान

01–सीता पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर (मृतक)
1/1 मन्नी उर्फ मुन्नी बेवा सीता जाति गुर्जर
1/2 रामकरण दत्तक पुत्र सीता जाति गुर्जर
1/3 कमलसिंह पुत्र सीता जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम उमरैण तहसील अलवर वारिस काबिज जायदाद सीता मृतक
02–तोता पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
03–दया पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
04–दुल्ली पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
05–बनवारी पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर

––वादीगण

बनाम

01–हरीसिंह पुत्र गंगू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उमरैण तह० अलवर
02–जगजीवन पुत्र गंगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम उमरैण तहसील अलवर जिला अलवर 02

––असल प्रतिवादीगण

03–राजस्थान सरकार जये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर तह० अलवर

–– तरतीबी प्रतिवादी

राजस्व वाद नं० 1 / 14 तारीख रज्जू 27.02.1999

1–हरीसिंह पुत्र गंगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम उमरैण तह० अलवर
2–जगजीवन पुत्र गंगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम उमरैण तहसील अलवर जिला अलवर

––वादीगण

बनाम

01–सीता पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
02–रामकरण पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
03– तोता पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
04–दया पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
05– दुल्ली पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
06– बनवारी पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर निवासी उमरैण तह० अलवर
07– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर तह० अलवर 06

–– असल प्रतिवादीगण

दावा तकसीम दफा 53, 188 राज०
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अंतिम निर्णय

प्रस्तुत वाद न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर से मुन्तकित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। वाद दर्ज रजिस्टर हो। वाद न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 09.06.2018 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री किया गया कि वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 ऐयर नहरी दोयम वाके ग्राम बाढ़ केसरपुर तहसील अलवर है और आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.31 ऐयर 29 रकबा 0.34 ऐयर, 30 रकबा 0.12 ऐयर 37 रकबा 0.15 ऐयर 45 रकबा 0.19 ऐयर 46 रकबा 018 ऐयर 47 रकबा 061 ऐयर, 48 रकबा 0.40 ऐयर 49 रकबा 041 ऐयर 50 रकबा 0.25 ऐयर 51 रकबा 0.10 ऐयर 52 रकबा 014 ऐयर 145 रकबा 0.80 ऐयर 146 रकबा 0.38 ऐयर 149 रकबा 0.42 ऐयर 575 रकबा 0.35 ऐयर 576 रकबा 0.15 ऐयर 577 रकबा 0.57 ऐयर 145/1976 रकबा 001 ऐयर कुल किता 19 रकबा 5.88 वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में विवादग्रस्त भूमि है। आराजी वाके ग्राम बाढ़ केसरपुर तहसील अलवर एवं वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की मुश्तर्का होल्डिंग की है जिसमे 1ध3 हिस्सा वादी नम्बर 1 का है और 1/3 हिस्सा वादीगण नम्बर 2 लगा० 6 का है तथा 1/3 हिस्सा असल प्रतिवादीगण का है। जिसका इन्द्राज बाढ़ केसरपुर की जमाबंदी संवत् 2051 एवं उमरैण की जमाबंदी सम्वत 2054 लगा० 57 में हिस्सेवार हो रहा है। राजस्व रिकार्ड मे कुल आराजी मुर्तका होल्डिंग की लिखी गई है और कब्जा बाहमी बटवारे के अनुसार (अ) बादी नम्बर 1 का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 019 ऐयर 46 रकबा 0.18 ऐयर 47 रकबा 0.61 ऐयर 145 रकबा 0.80 इन चारों नम्बरान सालिम रकबा और 575 रकबा 0.35 और 576 रकबा 0.15 में से 015 ऐयर व 577 रकबा 0.57 में से 021 ऐयर इस तरह कुल रकबा 213 है० वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर (ब) वादी नम्बर 02 लगा० 06 के कब्जे की आराजी का विवरण खसरा नम्बर 28 रकबा 031 29 रकबा 0.34 ऐयर 30 रकबा 0.12 ऐयर में से 1/2 भाग तीनो नम्बरो का और 48 रकबा 0.40 ऐयर, 49 रकबा 0.41 ऐयर 50 रकबा 0.25 इन तीनो नम्बरान का 1/2 भाग, 51 रकबा 0.10 ऐयर, 52 रकबा 0.14 ऐयर, दोनो का सालिम रकबा, 146 रकबा 0.38 ऐयर में से 0.32 ऐयर एवं 577 रकबा 0.57 ऐयर में से 0.35 ऐयर वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर की एव खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 सालिम रकबा वाके ग्राम बाढ केसरपुर की वादीगण नम्बर 02 लगा० 06 के कब्जे में है। असल प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगा० 02 के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.31 ऐयर, 29 रकबा 0.34 ऐयर, 30 रकबा 0.12 में 1/2 भाग और 37 रकबा 0.15 ऐयर, 48 रकबा 0 40 ऐयर, दोनो का सालिम रकबा, 49 रकबा 0.41 ऐयर, 50 रकबा 0.25 ऐयर इन दोनो नम्बरो का 1/2 भाग 146 रकबा 0.38 में से 0.11 ऐयर एवं खसरा नम्बर 149 रकबा 0.42 ऐयर सालिम रकबा, खसरा नम्बर 575 रकबा 035 ऐयर 576 रकबा 015 ऐयर इन दोनों नम्बरान से 0.35 ऐयर वाके ग्राम उमरैण तथा चाह नम्बर 145/1976 रकबा 0.01 ऐयर में से तीनों का 1/3, 1/3 भाग इस चाह में इसी तरह वादीगण नम्बर 01 लगा० 06 भी 1/3 व 1/3 के हिस्सेदार है। विवादित भूमि का बटवारा नही हुआ है। वादीगण ने अपने अपने हिस्से मे तकसीम कराने के लिए दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने एक दावा तकसीम का 28.09.84 को बाढ़ केसरपुर की आराजी शामिल नहीं की जिससे हमारे एतराज पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 26.08.92 को हमारी अपील स्वीकार कर इस निर्देश के साथ पेश की कि तनकी नम्बर 03 जो बाढ़ केसरपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 63 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 ऐयर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बना है। जिसका निर्णय किया जावे। जिस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी अलवर का आदेश बहाल रखा। जब पत्रावली न्यायालय एसडीओ अलवर के यहां आई प्रतिवादीगण के पिता गंगू फोत हो गया। जिससे मरम्मत सवाल पेश नहीं करने के कारण दावा अबेटमेंट में खारिज हो गया। प्रतिवादीगण ने दूसरा दावा दिनांक 19.02.99 को तकसीम का कर दिया। जिसमें बाढ़ केसरपुर की जमीन को शामिल नही किया गया। उसको शामिल करने के लिए कुल आराजी उमरैण ओर बाढ़ केसरपुर की को मिलाकर तकसीम कराने के लिए वादीगण द्वारा दावा पेश किया गया। विवादित भूमि कब्जा कायम रखते हुए दखल को अमल कराने का अधिकारी है। वसूरत दीगर अदालत द्वारा अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी दोनों गावों की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कुर्रे बनाये जाकर हिस्से अनुसार अलग की जावे। अतः वादीगण दावा मूल प्रतिवादीगण प्रारम्भिक डिक्री विवादित आराजी के कुर्रे कायम कर हिस्से अनुसार 1/3, 1/3 डिक्री फरमाई जाये तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से के अनुसार कब्जे की आराजी में काश्त ' संबंधी कार्य में रुकावट व मजाहमत से पावन्द किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण जर्ये वकील उपस्थित हुए। वादी सीता पुत्र नारायण की मृत्यु हो जाने पर मरम्मत सवाल पेश किया गया। जो स्वीकार कर वारिसान को वाद में शामिल किया गया। प्रतिवादीगण ने जये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वाके ग्राम बाढ़ केसरपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 62 जिसका हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 ऐयर से वादीगण का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। उक्त आराजी पर मिन प्रतिवादीगण काबिज एवं खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ है, उक्त खसरा नम्बर पर गलत तरीके से वादी संख्या 02 लगा० 06 के हिस्से में होना अंकित किया है। खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 ऐयर पर मिन प्रतिवादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी वाके ग्राम उमरैण पूर्व में ही प्रतिवादीगण ने एक दावा उनवानी हरिसिंह बनाम सीताराम दायर किया हुआ है जिस कारण दावा हाजा चलने योग्य नहीं है। पूर्व दावा प्रतिवादीगण के पिता ने बाढ़ केसरपुर की भूमि बाबत किया था किन्तु कोई निर्णय तकसीम नही हो पाया। वादीगण का ग्राम बाढ केसरपुर की आराजी से कतई कोई वास्ता नही है। क्योंकि बाढ़ केसरपुर में आराजी खसरा नम्बर 103 व 68 वादीगण को मिल चुकी थी। जिसे व विक्रय भी कर चुके है। किन्तु बदनियति व नाजायज तरीके से बिना किसी हक के प्रतिवादीगण की मिलकियत व मकबूजे की आराजी खसरा नम्बर साबिक 62 हाल 53 में हिस्सा बंटाना चाहते है जिसमें इनका कोई अधिकार नही है। वादीगण उमरैण की भूमि के साथ तकासमा करना चाहते है। यह गलत है स्वीकार नही है। बाढ़ केसरपुर स्थित पैतृक भूमि खसरा नम्बर 103 एवं 68 का अंकन किया जाना आवश्यक है। वादीगण का यह तथ्य भी पूर्णतः गलत है की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.80 ऐयर में वादी संख्या 1 ने बोरिंग कराई है। उक्त बोरिंग वादी एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग स्व० श्री नारायण द्वारा पूर्व में ही करा दी गई है। बाढ़ केसरपुर में स्थित पैतृक भूमि खसरा नम्बर 103 व 68 को सम्मलित किये बिना दावा हाजा चलने योग्य नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 53 बाढ़ केसरपुर पर वादीगण का कब्जा नहीं है। जिस कारण दावा स्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है। अत दावा वादी मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी हरिसिंह व जगजीवन पुत्र गंगू द्वारा एक अन्य दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 ग्राम उमरैण की भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 6 द्वारा जये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकाराण की सहमति के आधार पर दिनांक 01.10.2003 को दोनों दावों को कंसोलिडेट किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सुनवाई की गई। दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है
2. आया आराजी खसरा नम्बर साबिक 62 हाल 53 पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा है एवं बाढ केसरपुर के अन्य खसरा नम्बरों को शामिल किये बिना दावा तकसीम चलने योग्य नही है।
3. आया उमरैण एवं बाढ़ केसरपुर को आराजीयात के बाबत एक ही दावा चलने योग्य नहीं है।
4. आया बाढ़ केसरपुर की आराजी खसरा नम्बर 103 एवं 68 को सम्मलित किये बिना दावा हाजा चलने योग्य नहीं है।
5. आया आराजी खसरा नम्बर 53 ग्राम बाढ़ केसरपुर पर वादी का कब्जा नही होने के कारण दावा स्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है।
6. आया वादी एवं प्रतिवादी विवादित भूमि वाके ग्राम उमरैण को जये डिक्री तकसीम कराये जाने के अधिकारी है।
7. दादरसी

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श डालते हुए साक्ष्य हेतु श्री पूरण पुत्र लल्लू गुर्जर, नि० ग्राम उमरैण श्री मानसिंह पुत्र अमर सिंह उमरैण एव श्री तोता राम पुत्र छोटक्या निवासी उमरैण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनसे वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में श्री हरिसिंह पुत्र गंगू गुर्जर नि० उमरैण पतराम पुत्र सरदारा नि० बाढ कसरपुर रामदयाल पुत्र किशनलाल गुप्ता नि० उमरैण तह० अलवर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनसे वकील वादी द्वारा जिरह की गई जो शामिल पत्रावली है।

उभयपक्षकरान की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी द्वारा जये वकील लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील वादी ने दावे के कथनों को दोहराते हुए बयान किया कि विवादित आराजी ग्राम उमरैण व बाढ़ केसरपुर में स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 लगा० 5 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 2 का 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि उनके पूर्वज नारायण की थी जिसके तीन वारिसान गंगू, छोटक्या व सीता हुए तथा वादी व प्रतिवादी दोनों ही इन तीनों के वारिसान है। विवादित आराजी का पूर्व में ही बहामी बटवारा किया जा चुका है। जिसका विवरण दावे के पैरा संख्या–3 में दिया हुआ है। जिसका समर्थन मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से होता है। अतः तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में निर्णित की जावे। इसी प्रकार बाढ़ केसरपुर एवं उमरैण दोनों ग्रामों में स्थिति भूमि वादी एवं प्रतिवादी की है तथा तहसील एवं क्षेत्राधिकार भी समान है। अतः तनकी संख्या–3 व 4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जावे। खसरा नम्बर 103 एवं 68 वादी एवं प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज नहीं है वह पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका है जिसका नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 53 तीनों के नाम दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा मात्र उमरैण की ही भूमि का दावा किया गया है जबकि उमरैण एवं बाढ़ केसरपुर दोनों ही भूमिया वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही ग्रामों की भूमि को तकसीम कराने के अधिकारी है। अतः वादी का दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जावे। प्रतिवादी हरिसिंह व जगजीवन द्वारा जर्ये वकील तनकीवार लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि तनकी स०–1· को साबित करने का भार वादी पर है परन्तु वादी द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि का पूर्व में बटवारा हो चुका है। बाढ़ केसरपुर की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

खसरा संख्या 53 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। तथा वही उक्त आराजी की माल (लगान) सरकारी जमा कराता आया है जिसकी रसीद प्रस्तुत की गई है। वादी द्वारा बाढ़ केसरपुर की आराजी को भी बटवारे में सम्मलित किया है जबकि बाढ़ केसरपुर की सीमा व पटवार क्षेत्र अलग है जिसका पृथक से दावा करना चाहिए था। वादी का दावा चलने योग्य नही है। ग्राम बाढ केसरपुर की आराजी खसरा नम्बर 103 व 68 को दावा में शामिल नहीं किया जिससे दावा चलने योग्य नही है। ग्राम बाढ केसरपुर स्थित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा है तथा वादीगण का उक्त भूमि में कोई कब्जा नहीं है। आराजी का बटवारा वर्ष 1975 में ही हो चुका है। इस आधार पर वादीगण उक्त आराजी खसरा नम्बर 53 पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। वादी द्वारा ग्राम उमरैण की आराजी का जो दावा किया है उस आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार से विभाजित करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री की जावे। इस प्रकार हरिसिंह बनाम सीता का दावा डिक्री किया जावे तथा सीता बनाम हरिसिंह का दावा मय कोस्ट खारिज किया जावे। बहस का मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि है जिसका विभाजन अभी तक नही हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त भूमि विभाजित कराने के वादी एवं प्रतिवादी अधिकारी है राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि अभी भी अविभाजित एवं शामलाती भूमि है तथा उभयपक्षकारान सम्पूर्ण विवादित आराजी के सहखातेदार है एवं वैधानिक रूप से प्रत्येक इच भूमि में सभी का अधिकार है। अतः वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबान्द कराने का अनुतोष पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का विभाजन होकर पृथक–पृथक खाते सधारित होने तक देय नही है। जहां तक वादी सीता पुत्र नारायण के वारिसान का प्रश्न है वाद विवादित आराजी में उभयपक्ष की खातेदारी के हिस्सों के अनुसार आराजी के विभाजन से संबंधित है न कि विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा से । अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार विवादित आराजी को तकसीम कराने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 103 एवं 68 ग्राम बाढ़ केसरपुर वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज नही है जिनका विभाजन करवाने के वादी एवं प्रतिवादी अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध एव तनकी स० 2 3 4 एवं 5 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाकर तनकी संख्या 6 में वर्णित ग्राम उमरैण एव बाढ केसरपुर की विवादित आराजी को वादी एव प्रतिवादी के मध्य विभाजित किया जाना उचित समझते हुए वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बाढ़ केसरपुर की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.43 ऐयर एवं ग्राम उमरैण की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 28 रकबा 031 ऐयर 29 रकबा 034 ऐयर 30 रकबा 012 ऐयर 37 रकबा 0.15 ऐयर 45 रकबा 0.19 ऐयर 46 रकबा 0.18 ऐयर 47 रकबा 0.61 ऐयर 48 रकबा 040 ऐयर 49 रकबा 041 ऐयर 50 रकबा 025 ऐयर 51 रकबा 0.10 ऐयर 52 रकबा 0.14 ऐयर 145 रकबा 0.80 ऐयर, 146 रकबा 038 ऐयर 149 रकबा 0.42 ऐयर 575 रकबा (0.35 ऐयर, 576 रकबा 0.15 ऐयर 577 रकबा 057 ऐयर 145/1976 रकबा 0.01 कुल किता 19 रकबा 5.88 है० को मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रिकार्ड एव मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुए आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ने प्रारम्भिक आदेश के उपरान्त तहसीलदार अलवर को अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/77 दिनांक 28.02.2022 प्रेषित किया गया। उक्त पत्र में सहायक कलक्टर अलवर ने हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 43

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अलवर

एयर वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर को छोडते हुए वाके ग्राम उमरैण की आराजी के कुर्रेजात भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार अलवर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. /2022/2574 दिनांक 06.04.2022 द्वारा कुर्रेजात कायम कर न्यायालय में भिजवाये गये। कुर्रेजात रिपोर्ट का उभयपक्ष ने अवलोकन किया। उभयपक्ष ने वाद मुताबिक कुर्रेजात अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का भाग माना जावेगा।

प्रस्तावित कुर्रेजात					वि.वि.
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	खातेदारान का विवरण	
149/1 48 50 46/1 47/1 49/1 29/1 30 575 576/1 37/1 कुल किता 11	0.41 0.40 0.25 0.08 0.15 0.01 0.13 0.12 0.35 0.01 0.05 रकबा 1.96	नहरी 2 नहरी 1 नहरी 1 नहरी 2 नहरी 2 नहरी 1 नहरी 2 ढहरी 2 ढहरी 2 नहरी 2 नहरी 2	3.69 6.00 3.75 0.72 1.35 0.15 1.17 1.08 3.85 0.11 0.45 कुल 22.32	1– हरिसिंह पुत्र गंगुराम 1/2 हिस्सा कौम गुर्जर सा.देह खातेदार जगजीवणराम पुत्र गंगुराम 1/2 हिस्सा राहिन वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उमरैण नोटः–नजरी नक्शा में उक्त खातेदारो की भूमि को आरेन्ज रंग में दर्शाया गया है।	मौके पर कब्जा अनुसार
45 46/2 47/2 145/2 145/1976 28/2 29/2 576/2 577/2 37/3 किता–10	0.19 0.10 0.46 0.54 0.01 0.04 0.21 0.14 0.22 0.05 कुल–1.96	नहरी 2 नहरी 2 नहरी 2 चाही 3 गै.मु.चाह नहरी 2 नहरी 2 ढहरी 1 ढहरी 1 नहरी 2	1.71 0.90 4.14 6.48 – 0.36 1.89 1.54 2.42 0.45 कुल 19.89	2–मन्नी पत्नी स्व0. सीता कमलसिंह पुत्र सीता रामकरण दत्तक पुत्र सीता स.भा. कौम गुर्जर सा.देह. खातेदार नोटः– उक्त खातेदारान का हिस्सा भूमि को नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शाया गया है।	मोके पर कब्जा अनुसार व दावा अनुसार दर्ज खातेदारान व रामकरण पुत्र छोटक्या द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

149/2 49/2 51 52 146 145/1 28/1 577/1 37/2 किता–9	0.01 0.40 0.10 0.14 0.38 0.26 0.27 0.35 0.05 कुल–1.96	नहरी 2 नहरी 1 नहरी 1 नहरी 1 नहरी 2 चाही 3 नहरी 2 ढहरी 1 नहरी 2	0.09 6.00 1.50 2.10 3.42 3.12 2.43 3.85 0.45 कुल–22.96	3–तोता पुत्र छोटक्या 1/4 हि0 (राहिन पीएनवी उमरैण 1/5 हि.) शेष हि. बिलारहन, दया पुत्र छोटक्या 1/4 हिस्सा (राहिन बीआरकेजीबी उमरैण 1/5 हिस्सा शेष हि. बिलारहन), दुल्ली पुत्र छोटक्या 1/4 हिस्सा (राहिन बीआरकेजीबी उमरैण 1/5 हि. शेष हि. बिलारहन), बनवारी पुत्र छोटक्या पुत्र 1/4 हिस्सा (राहिन बीआरकेजीबी उमरैण 1/5 हि. शेष हि. बिलारहन) कौम गुर्जर सा.देह.खातेदार **नोटः**–उक्त खातेदारान की भूमि नजरी नक्शा में पिंक रंग से दर्शाया गया है।	मोके पर कब्जा अनुसार व दावा अनुसार दर्ज खातेदारान व रामकरण पुत्र छोटक्या द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार

अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया जावे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

र्गय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर